FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ...सिवाना..........

प्रार्थी **बनाम**	विप्रार्थीगण
पहाड़सिंह पत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिवाना तहसील सिवाना	1. खीमसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी अर्जियाणा तहसील सिवाना 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा......धारा 212 RTA   मु0नं.74/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
08.06.2023	प्रार्थी पहाड़सिंह की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री गणपतसिंह ने धारा 212 RT Act के तहत विप्रार्थीगण खीमसिंह वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विप्रार्थी ने मौजा अर्जियाणा तहसील सिवाना अवस्थित खसरा संख्या 556/374 रकबा 7.0092 हैक्टेयर भूमि जरिये नोटेरी से तस्दीकसुदा इकरारनामा बेचान करने का इकरार किया और बदले में भूमि की आंशिक कीमत के रूप में राशि प्राप्त की है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आरजी तौर से स्वीकार किया जाकर ग्राम अर्जियाणा तहसील सिवाना अवस्थित खसरा संख्या 556/374 रकबा 7.0092 हैक्टेयर भूमि के संबंध में आगामी पेशी तिथि तक विप्रार्थीगण के रूप में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली आइंदा 17.07.2023 को पेश हो। (दिनेश विश्नोई) सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना **सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना**	
09-06-23	वकील प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर पत्रावली तलब की गई। चूंकि मूल वाद [illegible] हो चुका है। अत: आवेद[illegible] नहीं है। लिहाजा न्यायालय द्वारा [illegible] दिनांक 8-6-23 निरस्त किया जाकर आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:58:01 IST
Reason: SelfAttested